

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4130
बुधवार, दिनांक 12 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू)

4130. श्री अमरा राम: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राजस्थान में संस्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की संख्या कितनी है तथा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के अंतर्गत मेगावाट में उनकी क्षमता का ब्यौरा क्या है तथा ऐसे संयंत्रों की संख्या कितनी है जिन्हें संस्थापित किया जाना अभी शेष है;
- (ख) राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उक्त संयंत्रों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं; और
- (ग) राजस्थान को उक्त संयंत्रों से कितनी विद्युत प्राप्त होने की संभावना है तथा उसकी दर का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

- (क) राजस्थान सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य में आयोजित विभिन्न निवेश शिखर सम्मेलनों में नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए उनके उद्योग विभाग के माध्यम से कई समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो इन समझौता ज्ञापनों के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।

अब तक, राजस्थान राज्य में 49 GW से अधिक की कुल क्षमता वाली परियोजनाएं चालू की जा चुकी हैं।

- (ख) राजस्थान सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, परियोजना डेवलपर्स को राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के प्रावधानों के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित देश में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय और पहल की हैं। इसका विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

- (ग) आवश्यक मात्रा में विद्युत की खरीद राज्य सरकार द्वारा की जाती है और इसके टैरिफ का निर्धारण राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है।

दिनांक 12.08.2026 को पूछे गए लोक सभा आतारांकित प्रश्न सं. 4130 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

देश में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम और पहल

- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM), पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूलों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (PM JANMAN) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA JGUA) के अंतर्गत नई सौर ऊर्जा योजना (जनजातीय और PVTG बस्तियों/गांवों के लिए) जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।
- सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की योजना लागू की जा रही है, ताकि बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स को भूमि और पारेषण की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
- ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन-सौर हाइब्रिड और फर्म एवं डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा (FDRE) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया हेतु मानक बोली दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा की खपत को बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO) के बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (RCO) की रूपरेखा वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित की गई है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू RCO के अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान है। RCO में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई है।
- हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS) शुल्क में निर्धारित समय-सीमा और शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गई है।
- नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई पारेषण लाइनों के निर्माण और नई सब-स्टेशन क्षमता के सृजन हेतु वित्त पोषण किया गया है।
- सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों (अर्थात् सौर PV मॉड्यूल, सौर PV इनवर्टर एवं स्टोरेज बैटरी) और सौर जल तापन प्रणालियों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए गए हैं।
- ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने एवं विकसित करने के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा जारी की गई है।
- भारत के लिए संसाधन पर्याप्तता नियोजन रूपरेखा हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं, जिनके अंतर्गत 500 किलोवाट तक या विद्युत स्वीकृत भार, जो भी कम हो, तक नेट-मीटरिंग का प्रावधान है।

- सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूलों और ग्रिड से जुड़े सौर इनवर्टरों के लिए मानक एवं लेबलिंग (S&L) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती क्षमता वृद्धि के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 2030 तक की पारेषण योजना तैयार की गई है।
- विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (LPS नियम) अधिसूचित किए गए हैं।
- विद्युत (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022 को सभी के लिए किफायती, विश्वसनीय और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 06 जून 2022 को अधिसूचित किया गया है। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस ऐसे किसी भी उपभोक्ता को उपलब्ध है जिसकी अनुबंधित मांग 100 kW या उससे अधिक है, जो एकल या एकाधिक एकल कनेक्शनों के माध्यम से कुल 100 kW या उससे अधिक हो तथा जो किसी वितरण लाइसेंसधारी के एक ही विद्युत प्रभाग में स्थित हो।
